



Neutral Citation No. - 2026:AHC:171966

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक पुनरीक्षण संख्या - 3252 वर्ष 2026

एक्स किशोर

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : सरोज कुमार राजपूत

विपक्षी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, रणविजय कुमार

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा

1. नोटिस की तामील हो जाने के बावजूद, सूचनाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
3. वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादी द्वारा अपने प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 102 के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए तथा मुकदमा अपराध संख्या 02 वर्ष 2026, धारा 65(2), 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता तथा किशोरों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम की धारा 5एम/6, थाना हथगांव, जनपद फतेहपुर से उद्भूत दांडिक अपील संख्या 16 वर्ष 2026 (नेता @

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मोहित लाल (किशोर अपचारी), पुत्र धर्म पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में किशोर न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (किशोरों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम), फतेहपुर द्वारा पारित दिनांक 29.04.2026 के निर्णय एवं आदेश तथा मुकदमा अपराध संख्या 02 वर्ष 2026, अन्तर्गत धारा 65(2), 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता तथा किशोरों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम की धारा 5एम/6, थाना हथगांव, जनपद फतेहपुर में, किशोर न्याय बोर्ड, फतेहपुर के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान, पुनरीक्षणवादी के जमानत आवेदन को अस्वीकार करते हुए प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, फतेहपुर द्वारा पारित दिनांक 31.03.2026 के आदेश को अपास्त किया जाए।

4. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस वाद में वह निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि कथित घटना के समय पुनरीक्षणवादी की आयु 17 वर्ष निर्धारित की गई थी। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार पुनरीक्षणवादी द्वारा पीड़िता के साथ लैंगिक अपराध किया जाना बताया गया है। किन्तु चिकित्सीय परीक्षण के दौरान उसके शरीर पर न तो कोई बाह्य चोट और न ही कोई आंतरिक चोट पाई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता की माता द्वारा कोई भी ऐसा कथन नहीं किया गया था, किन्तु बाद में बलात्कार का आरोप भी जोड़ दिया गया, जबकि यह चिकित्साविधिक रिपोर्ट के साथ-साथ विकृति विज्ञान संबंधी रिपोर्ट से भी समर्थित नहीं है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रदर्शित हो कि वर्तमान पुनरीक्षणवादी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत पीड़िता का कथन विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया था, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुनरीक्षणवादी ने उसके साथ बलात्कार किया है। जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रिपोर्ट में वर्तमान अपचारी के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत निहित प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत आवेदन का निर्णय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को निरस्त करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अपचारी दिनांक 17.01.2026 से किशोर देखरेख गृह में है और उसकी मनोवृत्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है, अतः किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने तथा दांडिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रार्थना का विरोध किया।
6. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख के परिशीलन, पीड़िता एवं अपचारी की आयु, प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के कथन, चिकित्साविधिक रिपोर्ट, विकृतिविज्ञान संबंधी रिपोर्ट तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों और जिला परीवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित रूप से विचार नहीं किया, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार विद्यमान प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.2026 को तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2026 को पारित आदेशों को एतद्वारा निरस्त किया जाता है और वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

8. यह निर्देशित किया जाता है कि 'एक्स' (किशोर) को पुनरीक्षणवादी (अपचारी का विधिक संरक्षक) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के 2 प्रतिभू प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) पुनरीक्षणवादी/प्राकृतिक संरक्षक एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा किए जाने के पश्चात पुनरीक्षणवादी को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा तथा आगे पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

(ii) पुनरीक्षणवादी/प्राकृतिक संरक्षक इस आशय का एक वचनबंध भी प्रस्तुत करेगा कि किशोर अपनी उचित स्तर की शिक्षा जारी रखेगा, जिसके लिए उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के अतिरिक्त प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उसे अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर और पुनरीक्षणवादी/प्राकृतिक संरक्षक प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष ऐसी आवधिक अवधि पर प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित कर सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा)

14 अगस्त, 2026

टी.एस.

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”